

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

सं०सं०-17/विविध-01-66/2025- 430(17) पटना, दिनांक:- 03 / 05 / 2025

राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में कार्यरत निम्नांकित सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर को बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के द्वारा सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति के निमित्त प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में साक्षात्कार/काउंसिलिंग में भाग लेने हेतु अनापत्ति प्रदान की जाती है-

SL. NO.	NAME	CADER	DEPARTMENT NAME	APPOINTMENT ORDER	PERSENT NAME OF MCH
1	FARHIN NISHAT	BOND (BHS)	MICROBIOLOGY	421(2) 29.03.2022	JLNMCH
2	SURABHI	BOND	Obs & Gynae	80(17) 23.02.2022	PMCH
3	MEENAKSHI RANJAN	BOND	Radiology	80(17) 23.02.2022	PMCH
4	PALLAVI KUMARI	BOND	Eye	80(17) 23.02.2022	NMCH, Patna
5	RAJEEV KUMAR	Tenure (PGS)	Aneasthesia	15(17) 06.01.2023	PMCH, Patna
6	NOORUSSABA ARFEEN	Tenure (PGS)	Medicine	15(17) 06.01.2023	PMCH, Patna
7	SHWETA	Tenure (PGO)	MICROBIOLOGY	15(17) 06.01.2023	SKMCH, Muzaffarpur
8	NIKKI KUMARI	Tenure (PGS)	NEONATOLOGY	15(17) 06.01.2023	PMCH, Patna
9	PRERNA PRIYADARSHINI	Tenure (BHS)	Obs & Gynae	659(17) 27.06.2023	GMC, Purnea
10	SHAESTA IQBAL	Tenure (PGS)	Obs & Gynae	659(17) 27.06.2023	ANMMCH, Gaya
11	ANJU KUMARI	Tenure (BHS)	Obs & Gynae	659(17) 27.06.2023	SKMCH, Muzaffarpur
12	MONIKA	Tenure (PGS)	PAEDIATRICS	658(17) 27.06.2023	NMCH, Patna
13	SUMAN KUMARI	Tenure (PGO)	PAEDIATRICS	658(17) 27.06.2023	NMCH, Patna
14	ASIF AHMAD KHAN	Tenure (BHS)	SPORTS MEDICINE	654(17) 27.06.2023	BMIMS, Pawapuri Nalanda

SL. NO.	NAME	CADER	DEPARTMENT NAME	APPOINTMENT ORDER	PERSENT NAME OF MCH
15	DEEPAK KUMAR SHARMA	Tenure (PGO)	SPORTS MEDICINE	654(17) 27.06.2023	BMIMS, Pawapuri Nalanda
16	SHWETA SHALINI	Tenure	P.S M.	41(17) 11.01.2025	PMCH, Patna
17	NIVEDITA	Tenure	NEUROLOGY	52(17) 11.01.2025	JLNMCH, Bhagalpur

- 2 यह अनापत्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि चयनोपरान्त योगदान के पूर्व सबधित सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर को धारित पद से त्याग-पत्र देना होगा।
- 3 बॉण्ड से आच्छादित चिकित्सकों को यह अनापत्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि वे बिहार राज्य में तीन वर्षों की अनिवार्य सेवा पूरी करेंगे।
- 4 उक्त आदेश में यदि भविष्य में नियम के आलोक में कोई असंगति का मामला संज्ञान में आता है, तो तदनुसार निर्गत आदेश को संशोधित करते हुए अपेक्षित कार्रवाई की जायेगी।
- 5 प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-
(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

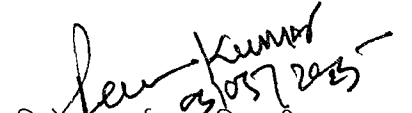
ज्ञापांक-17/विविध-01-66/2025- 430(17) पटना, दिनांक:- 03/05/2025

प्रतिलिपि — सबधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के प्राचार्य/अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी संबधित सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, 02, 03 एवं 09, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि — आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।
५